

१७/१/२५:- वकील सारी गैर टाजिर। हाकिम का
 हाजा से संबंधित मुल्ला वाद से. १५/२०२३ हुकम
 हाजरी व हुकम पेशी में जारी किया जा उछ
 है। मुल्ला वाद से जारी हो जाने से प्राप्त पोखरीम
 नहीं रहा है। अतः प्राप्त मुल्ला वाद से जारी
 हो जाने शकी खेज पर जारी किया जाता है।
 प्रश्न हुकम नम्बर से कम दोहरा मुल्ला वाद
 से श्राव्य दाखिल रहता है। (२)

उपखण्ड अधिकारी
 नावां (डीडवाना-कुवाकन)